इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, विज्ञान नगर, कोटा में आयोजित "13वें विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन" के अवसर पर माननीय अध्यक्ष का भाषण

———

श्रद्धेय श्री उमेश नाथ जी महाराज;

श्री अशोक पचेरवाल जी; तथा

देवियो और सज्जनो

———

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, विज्ञान नगर, कोटा में आयोजित 13वें विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन के अवसर पर आज यहाँ आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस समारोह का उद्घाटन करने हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। इस समारोह में भाग लेना और श्रद्धेय श्री उमेश नाथ जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

हमारे देश में विवाह को प्राचीन काल से ही एक पवित्र संस्था के रूप में मान्यता मिली हुई है। प्रत्येक धर्म और समाज विवाह को मान्यता देता है । पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विवाह के दौरान अनेक रस्मों और परम्पराओं का पालन किया जाता है। भारत में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार जोड़ियाँ स्वर्ग में ही बन जाती हैं। भारतीय संस्कृति में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का ही पवित्र बंधन नहीं अपितु, दो परिवारों का मिलन भी माना जाता है।

मित्रो, हमारे देश में विवाह में काफी खर्च किया जाता है जिससे निर्धन लोगों पर बहुत आर्थिक बोझ पड़ता है। विवाह में होने वाले भारी भरकम खर्चों के कारण गरीब परिवार जीवन भर गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। हमारे समाज में दहेज को एक सामाजिक बुराई माना जाता है। इस बुराई के चलते विवाह जैसे पावन संस्कार पर भी असर पड़ता है।

विवाह के आयोजन में फिजूलखर्ची होती है और भोजन की बहुत बर्बादी भी होती है जिससे बहुत से गरीब और भूखे लोगों की भूख मिटाई जा सकती है। सामूहिक विवाह समारोह, खर्चीले और विलासितापूर्ण विवाह समारोहों के अनुकरणीय विकल्प हैं। सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन से गरीब परिवारों पर अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ नहीं पड़ता।

सामाजिक समरसता और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले ऐसे समारोहों और कार्यक्रमों में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी होती है। दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को दूर करने के अलावा ऐसे समारोह सामाजिक

समरसता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने के साथ-साथ अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने का कार्य भी करते हैं।

विवाह समारोहों में होने वाले फिजूलखर्च को कम करने के उद्देश्य से सामूहिक विवाह समारोह को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य में वर्ष 2021 से सामूहिक विवाह और अनुदान योजना लागू की गई है।

इस तरह के सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने वाली कन्याओं के खातों में 15,000 रुपये की अनुदान राशि डाली जाती है। सरकार को हमारे समाज से बाल विवाह जैसी बुराई को दूर करने की दिशा में भी प्रयास जारी रखने चाहिए।

देवियो और सज्जनो, सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन से इस प्रकार की कुरीतियों पर रोक लगती है और बहुत से लोग गरिमा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी पाते हैं। इस प्रकार के सम्मेलनों से केवल किसी एक परिवार को ही नहीं बल्कि, पूरे समाज को विवाह के आयोजन में होने वाले भारी खर्चों में राहत मिलेगी।

मैं ऐसे सामुदायिक विवाह आयोजनों की सराहना करता हूं, क्योंकि इससे निर्धन वर्ग के नवयुवकों और नवयुवतियों को अपने लिए एक उपयुक्त जीवन साथी का चयन करने और अपनी शिक्षा, कौशल विकास और भविष्य में कोई सार्थक कार्य करने हेतु बहुमूल्य समय और धनराशि बचाने में मदद मिलेगी।

वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए मैं गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और सामाजिक संगठनों से आग्रह करता हूँ कि वे ऐसी कन्याओं का विवाह कराने का नेक कार्य करें, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता अथवा परिवार के कमाऊ सदस्य को खो दिया है।

साथियो, गत वर्षों के दौरान भारतीय संसद ने महिलाओं को सामाजिक भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न से बचाने के लिए बाल-विवाह, दहेज ,सती-प्रथा, कन्या-भ्रूण हत्या आदि जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए विशेष रूप से महिलाओं के हित में कानून बनाए हैं।

हाल ही में सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करके उसे पुरुषों के बराबर लाने के लिए संसद में "बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021" नामक एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महिलाओं को शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करना है।

साथियो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज दाम्पत्य सूत्र में बंध रहे जोड़ों को उनके सफल वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

इस समारोह में आमंत्रित करने के लिए मैं एक बार फिर आयोजकों को धन्यवाद देता हूं और उनके भावी प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।